



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1084]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2010/ज्येष्ठ 11, 1932

No. 1084]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2010/JYAISTHA 11, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2010

का.आ. 1296(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार जून, 2010 के प्रथम दिवस को यह तारीख नियत करती है जिससे अधिनियम की धारा 18 के सिवाय उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एस-38012/01/2008-एस.एस.-I (खण्ड VII)]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2010

S.O. 1296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Employees' State Insurance (Amendment) Act, 2010 (18 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2010, as the date on which the said Act, except Section 18 thereof, shall come into force.

[F. No. S-38012/01/2008-S.S.-I (Vol. VII)]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.